न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए / 219 / 2017**

**उनवान**

1. भैरू पिता रूपा गुर्जर निवासी छाछेडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. ठाकर मुतबन्ना (गोदपुत्र) स्व0 उदा गुर्जर निवासी छाछेडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती हीरू उर्फ हीरी पी स्व0 नारायण गुर्जर पत्नि भैरू गुर्जर निवासी छाछेडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा हाल मुकाम देवदा तहसील गंगरार जिला चित्तोडगढ

प्रत्यर्थीया / वादिया

2. गोरू पिता रूपा गुर्जर निवासी छाछेडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ
4. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 203 / 2014(179 / 2012) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.6.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री बी एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

दिनांक 30.7.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाडा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 एवं 53 , 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 सजरा निम्न है :–

प्रताप (मृतक)

रूपा (मृतक) — हजारी (लाऔलाद फौत) — नारायण (मृतक)

रूपा (मृतक) → उदा (प्रति.1), गोरू (प्रति.2), भैरू (प्रति.3)

नारायण (मृतक) → मु0कंवरी (मृतक) → हीरू उर्फ हीरी (पुत्री / वादिया)

2. उक्त सजरे में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 सभी मूल पुरूष प्रताप जी के वंश से हीहै। राजस्व ग्राम छाछेडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में आराजियात मय आता चाह के स्थित है। जो निम्नानुसार है :– आराजी नम्बर 149 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 166 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 167 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 168 रकबा07 बिस्वा, आराजी नम्बर 169 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी नम्बर 212 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 213

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 233 रकबा16 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 520 रकबा 5 बीघा, आराजी नम्बर 521 रकबा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 522 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 523 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 524 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 527 रकबा 07 बिस्वा गैर मु0 आताचाह, आराजी नम्बर 564 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 607 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 16 कुल रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा, उक्त आराजियात वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की मौरूसी होकर वादिया के दादा जी प्रताप एवं श्री प्रताप के पुत्र रूपा, हजारी, नारायण के समय की होकर अविभक्त दशा में शामलाती चली आ रही है व शामिल में ही प्रताप जी के तीनों पुत्र रूपा, हजारी, नारायण के नाम राजस्व माली कागजों में अभिलिखित थी ।

3. नारायण जी की मृत्यु वादिया के नाबालिग अवस्था में ही हो गई थी। तथा वादिया नाबालिग अवस्था में होने से नारायण जी की मृत्यु के बाद वादिया की माता मु0 कंवरी का नाम विवादित आराजियात में रूपा एवं हजारी के साथ संयुक्त खातेदारी से अभिलिखित हुआ । उक्त वर्णित आराजियात में वादिया एवं वादिया की माता का 1/3 हिस्सा था तथा शेष 1/3, 1/3,रूपा, हजारी का हो राजस्व माली कागजों में अभिलिखित हुआ है। वादिया एवं वादिया की माता मु0 कंवरी एवं रूपा एवं हजारी के मध्य वादग्रस्त आराजियात का कोई बंटवाडा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के जरिये नहीं हुआ है बल्कि शामलात में ही अपने अपने हक व हिस्से अनुसार अर्थात रूपा, हजारी एवं

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादिया की माता मु0 कंवरी वादग्रस्त आराजियात में अपने 1/3 हिस्से अनुसार मौके पर काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। स्व0 प्रताप जी के पुत्र रूपाजी का देहान्त हो गया तथा हजारी भी ला औलाद फौत हो गये। इस कारण वादग्रस्त आराजियात में रूपा के पुत्र जो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 है का 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा वादिया का मृतक नारायण एवं मु0 कंवरी की प्रथम श्रेणी की वारिसा होने से वादग्रस्त आराजियात पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 मौके पर काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

4. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता रूपा की नियत में फितुर होने से (रूपा) वादिया की माता मु0 कंवरी के निधन पश्चात पटवारी हल्का से मिलाभगती कर गलत तरीके से छल व कपट से अपने नाम दर्ज करवा ली और वादिया को यह बताया कि वादग्रस्त आराजियात में मु0 कंवरी की प्रथम श्रेणी की वारिसा होने से उसका नाम मु0 कंवरी के स्थान पर दर्ज करवा दिया है तथा इस हक व हिस्से अनुसार वादिया मौके पर काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादिया ने दिनांक 1.11.2011 को वादग्रस्त आराजियात की राजस्व माली कांगजों की नकल तहसील कार्यालय से प्राप्त की तब वादिया को सर्वप्रथम जानकारी में आया कि वादिया की माता मु0 कंवरी की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त आराजियात में वादिया का नाम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रूपा ने तत्कालीन पटवारी से मिलाभगती कर अपने नाम गलत दर्ज करवा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ली। यह इन्द्राज वादिया के मुकाबले प्रभावहीन एवं शून्य है क्योंकि वादिया मृतक नारायण एवं मु0 कंवरी की पुत्री हो प्रथम श्रेणी की वारिसा है तथा मौके पर कब्जा दखल वादिया के पिता नारायण जी की मृत्यु के उपरान्त वादिया की माता मु0 कंवरी के साथ संयुक्त वादिया का ही 1/2 हिस्से की जमीन पर कब्जा व दखल चला आ रहा है तथा शेष 1/2 हिस्से की जमीन पर मृतक रूपा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कब्जा चला आ रहा है। वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को विवादित आराजियात गलत तरीके से उनके पिता द्वारा पहले तो 1/2 हिस्सा इन्द्राजित करने का आश्वासन दिया लेकिन वादिया द्वारा जमाबंदी की नकल दिनांक 1.11.2011 को प्राप्त करने पर प्रथम बार जानकारी में आया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रूपा ने सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात अपने नाम पर गलत तरीके से दर्ज करवा ली है जिस पर वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वादिया का 1/2 हिस्सा वादिया के नाम पर दर्ज कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तैयार नहीं हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भूमाफिया दलालों के माध्यम से वादग्रस्त आराजियात उनके नाम पर होने से खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस हेतु वादिया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध वादगस्त आराजियात में 1/2 हक हिस्से की खातेदार काश्तकार होने की घोषणा के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 जो मृतक रूपा के वारिसान है की नियत में फितुर होने से तथा उनके साथ

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अब वादिया का वादग्रस्त आराजियात में शामलात में रखना या रहना कतई संभव नहीं है। इसके अलावा वादिया वादग्रस्त आराजियात में अपने हक व हिस्से की आराजियात को उन्न एवं उपजाऊ बनाना चाहती है व लगान आदि जमा कराने में भी परेशानी होती है इस हेतु वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दिनांक 15.5.2012 वादग्रस्त आराजियात का उक्त वर्णित हिस्से अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 इस हेतु तैयार नहीं होने से वादिया घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ–साथ वादग्रस्त आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा लैण्ड होल्डरहोने से उन्हें तरतीबी प्रतिवादी जोडा गया है तथा प्रतिवादी संख्या 5 उप पंजीयक अधिकारी हमीरगढ को वादग्रस्त आराजियात का वाद के दौरान किसी प्रकार से हस्तान्तरण न हो इस हेतु उन्हें तरतीबी प्रतिवादी जोडा गया है। किन्तु उनके विरूद्ध वाद में कोई प्रभावी राहत नहीं चाही गई है। अतः वादग्रस्त आराजियात में वादिया को 1/2 हक व हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादिया एवं विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध इस अमर की जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजियात में वादिया के 1/2 हक हिस्से की भूमि पर वादिया के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें वादग्रस्त आराजियात को किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें एवं बैंक अथवा सोसायटी से ऋणभार युक्त नहीं

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करें एवंन करावें एवं वादिया को वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हक हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने की डिक्री पारित की जावे।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण में प्रत्यर्थीया/वादिया ने प्रतिवादीगण उदा, गोरू, भैरू, पिता रूपा गुर्जर निवासी छाछेडी एवं उप पंजीयक, हमीरगढ तथा तहसीलदार, हमीरगढ के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसके प्रकरण संख्या 179/2012 कायम किये गये तथा बाद में क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से यह वाद अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ में अंतरित कर दिया गया था। दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 उदा का दिनांक 5.2.2016 को देहन्त हो गया । जिसके कायम मुकाम विधिक वारिस श्रीमती चान्दी पत्नि स्व0 उदा गुर्जर निवासी छाछेडी को रेकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 5 व धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत वादिया द्वारा दिनांक 24.2.2016 को पेश करना बताया परन्तु मृतक उदाके विधिक वारिस श्रीमती चांदी पर कायम मुकाम के सम्मन की कोई तामील नहीं हुई और न ही उसे उदा के स्थान पर विधिक वारिस के तौर पर प्रतिस्थापित किया गया । दिनांक 12.6.2017 की पेशी पर कैम्प कोर्ट जोधसिंह जी का खेडा औज्याडा पर उपस्थित होने बाबत भी कोई नोटिस जारी नहीं कियागया । फिर भी वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 गोरू ने आपसी मिलाभगती कर षड्यन्त्रपूर्वक न्यायालय को गलत तथ्य बताकरव अंधेरे में

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रखकर वादिया का वाद डिक्री करा दिया । जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक प्रतिवादी संख्या 1 उदा के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश ही पारित नहीं किया और मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध डिक्री पारित कर दी जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। कानूनन किसी भी पक्षकार वादी अथवा प्रतिवादी की दौराने विचारण प्रकरण मृत्यु हो जाने पर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित किये बिना प्रकरण में आगे न तो कोई कार्यवाही की जा सकती है और न ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध भी डिक्री पारित कर दी गई। अपीलाधीन प्रकरण में मृतक के विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित किये बिना ही वाद को निर्णय की स्टेज तक पहूँचाने की विधिक प्रकिया का पालन किये बिना ही वाद में निर्णय पारित कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व वाद में वाद प्रस्तुत होने के उपरान्त सिविल प्रकिया संहिता में वर्णित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा प्रस्तुत होने पर तनकियात कायम की जानी थी। तथा उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन करते हुए तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित किया जाना था। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में न तो मृतक प्रतिवादी उदा के वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया एवं न ही पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर तनकियात ही कायम की गई। विधि अनुसार पक्षकारान को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रताप जी के तीन पुत्र रूपा, हजारी व नारायण में से करीब 40 वर्ष पहले हजारीजी कऔर करीब 25 वर्ष पूर्व रूपा जी का देहान्त हो गया था। नारायण की पत्नी कंवरी का भी देहान्त हो गया है। नारायण जी की मृत्यु के उपरान्त उनके हिस्से की भूमि कोपार्सनर होने से उनके भाईयों हजारी जी व रूपा जी में निहित हो गई, और हजारी की मृत्यु के बाद पुरूष कोपार्सनर होने से उनके भाई रूपा में सारी भूमि निहित हो गई और रूपा के देहान्त के बाद समस्त भूमि उनके तीनों पुत्रों उदा, गोरू व भैरू के नाम पर दर्ज हो गई। इस बाबत वादिया व वादिया की माताने कभी भी कोई एतराज नही किया था और न ही इस बाबत खोले गये नामान्तरकरण को कभी भी कोई चुनौती दी जिससे वह नामान्तरकरण नातिक हो चुका है और वादिया इस बाबत कोई भी आपति करने से कानूनन स्टोप्ड है और वह कोई भी हिस्सा वादग्रस्त भूमि में से प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वैसे भी कानून का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि विवाहित पुत्री को अपने पिता की सम्पति में कोई भी उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। वादिया का वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है। कब्जे के अभाव में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है। वादिया करीब 70 वर्ष की आयु की है और वह विवाहित होकर अपने ससुराल में रहती है। हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार वादिया को जन्म से कोई भी अधिकार अपने पिता की सम्पति में प्राप्त नही हो सकता है। जिस वक्त वादिया के पिता नारायण जी का देहान्त हुआ था उस वक्त प्रचलित कानून के अनुसार उनके हिस्से की भूमि पुरूष कोपार्सनर रूपा जी व हजारी जी में निहित हो गई और हजारी की मृत्यु के बाद पुरूष कोपार्सनर होने से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उनके भाई रूपा में सारी भूमि निहित हो गई । वादिया को प्रतिवादी संख्या 2 ने गुमराह कर रखा है, वह प्रतिवादी संख्या 2 के साले की पत्नी है और प्रतिवादी संख्या 2 गोरू इस वाद की आड में अपने भाईयों उदाजी व भैरू जीक के नाम पर दर्ज भूमि को नाजायज तौर से हडपना चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट जोधसिह जी का खेडा औज्याडा पर उपस्थित होने मात्र से ही वादिया के वाद को डिक्री करने में भूल की है। वादिया ने अपने वाद में वर्णित तथ्यों को साबित करने के बारेमें कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और न ही किसी भी दस्तावेज को सशपथ बयान के आधार पर प्रदर्शित ही कराया है। उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया गया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर बी जे (19) 2012 पेज संख्या 110 एवं आर बी जे (5) 1998 पेज 635 की ओर ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थीया/वादिया का वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने से हक अधिकार बनता है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 गोरू की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीया/वादिया खातेदारी उद्घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रताप जी के तीन पुत्र क्रमशः रूपा, हजारी एवं नारायण थे प्रताप जी के नाम खातेदारी की भूमि ग्राम छाछेडी में कुल किता 16 रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा थी। जिसमें से प्रताप जी के तीनों पुत्रों का समान रूप से 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित था। प्रत्यर्थीया/वादिया नारायण जी की पुत्री है। इस आधार पर वादिया ने वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हक हिस्से की उद्घोषणा कराने एवं उसी अनुसार विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 23.7.2012 को पंजिबद्ध किया गया एवं प्रतिवादीगण जो जरिये नोटिस तलब किया गया । आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.8.2012 को प्रतिवादी संख्या 2 गोरू की ओर से वकालत नामा एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकालत नामा पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका था। दिनांक 21.8.2012 के बाद प्रकरण में दिनांक 18.6.2016 तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 18.6.2016 को प्रकरण को औज्याडा राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखा गया एवं पक्षकारों में राजीनामा नहीं होने से निस्तारित नहीं किये जाने का इन्द्राज किया जाकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.9.2016 नियत की गई। दिनांक 24.2.2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया जिसमें विपक्षी संख्या 1 उदापुत्र रूपा की मृत्यु दिनांक 5.2.2016 को होना अंकित किया एवं उनके विधिक वारिसान श्रीमति चान्दी पत्नि उदा गुर्जर होना एवं इसके अलावा अन्य कोई

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विधिक वारिसान हो तो उसकी जानकारी नहीं होने का अंकन किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी तरह का कोई आदेश पारित नही किया गया । प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । उक्त जवाब दावे के आधार पर भी कोई तनकियात कायम नहीं की गई।

11. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी जाहिर आया है कि जिस वक्त नारायण की मृत्यु हुई थी। रिकार्ड के अनुसार नारायण की पत्नी कंवरी के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ था। कंवरी की मृत्यु के समय खुले नामान्तरकरण को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत परीक्षित किया जाना है। इसके संबंध में अपीलाधीन निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया गया है।

12. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ 42 पर तनकियात भी कायम किया जाना जाहिर हुआ है। परन्तु दिनांक 6.10.2015 के अहकाम में इसका कोई इन्द्राज नहीं है। वादिया को निांक 12.6.2017 को सुना जाकर पारित निर्णय तनकीवार नहीं लिखा गया है। अतः ऐसे त्रुटिपूर्ण निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

13. दिनांक 26.10.2016 को प्रकरण में कायम मुकाम के नोटिस जारी किये जाने का अंकन किया गया । ऐसी स्थिति में कायम मुकाम के नोटिस तामील होने एवं उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रकरण में आगे तनकियात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन प्रकरण में कायम मुकाम के नोटिस जारी किये गये या नही एवं उसके उपरान्त क्या कार्यवाही की गई। इसका कोई अंकन आगामी तारीख पेशी की फर्द अहकाम पर नहीं किया गया है। दिनांक 19.4.2017 को प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.7.2017 नियत की गई।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

परन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 12.6.2017 को प्रकरण को कोर्ट कैम्प औज्याडा में रखा गया । जिसकी कोई सूचना पक्षकारान को नोटिस के जरिये नहीं दी गई एवं प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 19.4.17 की पेशी पर आगामी पेशी दिनांक 12.7.2017 नियत होने के उपरान्त प्रकरण दिनांक 12.6.2017 को ही कैम्प कोर्ट औज्याडा में रखा जाने व पक्षकारान को सूचित किया जाना प्रकट नहीं है। पत्रावली में पेशी दिनांक परिवर्तन का कोई नोटिस अथवा तामील सूचना संलग्न नहीं होने से अपीलाण्ट का कथन साबित होता है कि उन्हें विधिवत रूप से सुना जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित नहीं किया गया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना प्रकट होती है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण में यही मत प्रतिपादित किया गया है कि प्रकरण में मृतक के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिया जाकर ही प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिये । अपीलाधीन प्रकरण में अपीलाण्टगण व मृत व्यक्ति के कायम मुकाम रेकार्ड को नहीं सुना गया है एवं मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

14. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.6.20167 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण में अपीलाण्टगण को व मृत प्रतिवादी के कायम मुकाम को सुना जाकर प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हों तो पक्षकार संयांजित किया जाकर उभयपपक्षकारान को सुनवाई समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17-9-19 को उपस्थित रहे।

15. निर्णय आज दिनांक 30.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

30/7/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
भीलवाड़ा